न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 19/2021

उनवान

राजेन्द्र कुमार पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1 किशनचन्द पुत्र कुशाल
2. रामेश्वर प्रसाद कुशाल
3 लक्ष्मण प्रसाद पुत्र कुशाल
4 घीसी देवी पुत्री कुशाल
5 नन्छी देवी पुत्री कुशाल
6 फुली देवी पुत्री कुशाल
7 गणपत पुत्र गोपाल
8 भगवानी पत्नी बिरदा
9 मुरली पुत्र जीवण
समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाड़खानी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)
10 राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय दिनांक : 01/04/2021

वादी की ओर से यह वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आ.ख.न. 367 के ख.नं. 1282 रकबा 0.17 है. वाके ग्राम खोरालाड़खानी तह. शाहपुरा में स्थित है । जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की शामलाती भूमि है जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी तथा प्रतिवादीगण सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त होकर सह खातेदार कास्तकार है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादी अपने हिस्से पर पुख्ता मकान व तामीरात कर काबिज काश्त है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रतिवादीगण बाजौर धनी व लडाकु किस्म के खूंखार लठैत एवं संख्या बल वाले व्यक्ति है जो वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है, जिसके चलते आये दिन सींव, डोल, सीमा विवाद करते रहते है तथा वादी के साथ रास्ता व आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नही है।

दिनांक 14.02.2021 को वादी अपनी आराजी की देखरेख कर रहा था कि प्रतिवादीगण एक राय होकर आये तथा वादी की सींव को फावडा लेकर काटने लगे तथा वादी की आरामी में जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को टोका तो वादी के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये एवं आपसी समझाईश से उस वक्त तो मान गये परन्तु जाते जाते एलानियां धमकी देकर गये कि हमउ क्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे तथा काश्त हेतू भी आराजी में नही जाने देगें एवं रास्ता पूर्ण रूप से अवरूद्ध करके रहेंगे तथा कानूनी बंटवारा हेतू साफ तौर से इंकारी हो गये। यदि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सुबों किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादी का रास्ता अवरूद्ध कर दिया एवं काश्त हेतू खेत में नही जाने दिया या वादी को बेदखल कर कब्जा स्वयं कर लिया तो वादी को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा वादी को अपनी आराजी से महरूम होना पडेगा तथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धनराशि से संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारों मे परस्पर मुकदमे बाजी बढेगी।

इस कारण वादी को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ। तथा अन्त में निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1282 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक-2 लगान निर्धारण किया जावे । प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई । वकील वादीगण को बंटवारा रिपोर्ट पर सुना गया । वकील वादीगण ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट खातेदार के दर्ज हिस्से अनुसार सही होना प्रतीत होता है तथा दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 1282 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम खोरालाडखानी तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। –

1. आ.ख.न. 1282/2 रकबा 0.0283 है0 भूमि वादी के हिस्से में रहेगी ।
2. आ0ख0न. 1282/1 रकबा 0.1417 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा 33067/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 8 का हिस्सा 42500/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 33067/141700 भूमि रहेगी ।

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 19/2021

उनवान

राजेन्द्र कुमार पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1 किशनचन्द पुत्र कुशाल
2. रामेश्वर प्रसाद कुशाल
3 लक्ष्मण प्रसाद पुत्र कुशाल
4 घीसी देवी पुत्री कुशाल
5 नन्छी देवी पुत्री कुशाल
6 फुली देवी पुत्री कुशाल
7 गणपत पुत्र गोपाल
8 भगवानी पत्नी बिरदा
9 मुरली पुत्र जीवण
समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाड़खानी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)
10 राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 1282 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम खोरालाड़खानी तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। –

1. आ.ख.नं. 1282/2 रकबा 0.0283 है0 भूमि वादी के हिस्से में रहेगी ।
2. आ0ख0नं. 1282/1 रकबा 0.1417 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा 5511/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा 33067/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 8 का हिस्सा 42500/141700 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 33067/141700 भूमि रहेगी ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें
निर्णय आज दिनांक 01/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ...... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	